संख्या: 5894 / आठ–3–11–240रिट / 11टी0सी0

प्रेषक,

आलोक कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **अध्यक्ष,**
समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. **जिलाधिकारी / नियन्त्रक प्राधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3

लखनऊ: दिनांक 21 दिसम्बर, 2011

विषय: सिविल अपील संख्या 6962 ऑफ 2005, आर0 के0 मित्तल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सिविल अपील संख्या 6962 ऑफ 2005, आर0 के0 मित्तल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 05.12.2011 को यह आदेश पारित किये गये हैं कि नोएडा महायोजनान्तर्गत आवासीय क्षेत्रों में बैंक, नर्सिंग होम तथा अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के संचालन पर आपत्ति व्यक्त करते हुए उन्हें तत्काल बन्द कराया जाय एवं महायोजना में इस प्रयोजनार्थ आरक्षित भू–उपयोगों (यथा–व्यवसायिक, संस्थागत, सार्वजनिक एवं अर्द्ध–सार्वजनिक सुविधाएं) अथवा ज़ोनिंग रेगुलेशन्स के अनुसार जहां अनुमन्यता है, के अन्तर्गत स्थानान्तरित / स्थापित किया जाय। मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी आदेश दिये गये हैं कि विकास प्राधिकरणों द्वारा महायोजना, ज़ोनिंग रेगुलेशन्स एवं अन्य विधिक प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए ही विभिन्न भू–उपयोगों / कियाओं की अनुमति प्रदान की जाए।

2. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया सिविल अपील संख्या 6962 ऑफ 2005, आर0 के0 मित्तल एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.12.2011 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार)
सचिव

संख्याः 5894(1)/आठ–3–11–240रिट/11टी0सी0तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, समस्त विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
2. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि इस शासनादेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराते हुए सर्व सम्बंधित को अपने स्तर से प्रेषित कराने का कष्ट करें।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजयदीप सिंह)
विशेष सचिव